## दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपा।

राजीव स्त्र सहित लाखन 明明 अधिवस्ता समित्यत। अर्थन

फरियादी नरोत्तम ने उपस्थित होकर राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा की अनुमति याही उभयपन्न ने निर्दारित डॉकेट हस्तासरित पर पेश किया कि उनमें समझौता हो चुका है और वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है जो न्यायालय की अनुमति उपरात राजीनामा योग्य है। फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबात के राजीनामा कर तेना व्यक्त किया है। राजीनामा फक्षकारों के हित में है एव लोकनीति के अनुस्त्य है। फरियादी राजीनामा करने के लिये सक्षम है। अत उमयप्रमी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हे राजीनामा करने की अनुभति प्रदान की जाती है। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दक्षित है कि आरोपी के विरुद्ध मादस की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग-2 माद्रित के

आरोपी व फरियादी द्वारा तपुरुत हरताशरित राजीनामा पेश किया गया है। उत्त राजीनामा के अध्यय पर आरोपी को मादस की धारा 294. 323/34, 506 माग-2 के आयोग से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जगानत मुचलके मारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम वजी में दर्ज कर प्रकट्या अभिलेखागार भेजा पीठासीन अधिकारी Affect mi

लोक अदालत पीठ कमाक -22

भी प्रमोद स्वामी एड गोहद

भी सतेन्द्रसिंह तामए एड मोहद